"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 सितम्बर 2010—भाद्र 17, शक 1932

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-59/2007/16.—प्रदेश में बाल श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने तथा प्रदेश में घातक कारखानों/प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों को अन्य लाभकारी योजनाओं में लगाने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा राज्य समीक्षा प्राधिकार समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2.	सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
3.	सचिव, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग	सदस्य
4.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	कल्याण आयुक्त, केन्द्रीय जबलपुर	सदस्य
7.	तीन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य

1. श्री मोहन चोपड़ा अध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद्

2. श्री कृष्ण प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष
   जागृति सेवा संस्थान उरला अभनपुर
   जिला रायपुर.

3. सुश्री यादव, अध्यक्ष
सहायता महिला मण्डल,
आनंद नगर रायपुर.

8. यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख — सदस्य

9. उपश्रमायुक्त — सदस्य सचिव/संयोजक

2. उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष का रहेगा, परन्तु राज्य शासन किसी भी सदस्य का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष के लिये बढ़ा सकेगा, परन्तु यह भी कि समिति के सदस्य, समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, तब तक निरन्तरित रहेंगे, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी सदस्यों की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं कर दी जाती.

3. उक्त समिति के किसी भी सदस्य को राज्य शासन अवधि पूरी होने के पूर्व भी स्वविवेक से बिना किसी कारण बताओ सूचना पत्र के कभी भी समिति से पृथक कर सकेगा. कोई भी सदस्य लगातार दो या अधिक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी.

4. समिति स्वविवेक के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली इस तरह निर्धारित करेगी, जिससे बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 का प्रवर्तन और बाल श्रमिक उन्मूलन परियोजना पर पर्यवेक्षण औचित्यपूर्ण, पर्याप्त एवं प्रभावी तरीके से हो सके.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.